राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम-1999

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अध्यक्ष'' से आयोग का धारा 3 के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान राज्य महिला आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''सदस्य'' से आयोग का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(घ) ''अनुचित व्यवहार'' से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा विभेद, अपवर्जन या निर्बधन जो लिंग के आधार पर इस प्रयोजन से किया गया हो या जिसके किये जाने का यह प्रभाव हो कि उससे संवैधानिक अधिकारों की या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी भी अन्य क्षेत्र की मूलभूत स्वतंत्रता की मान्यता में या महिलाओं द्वारा उनके उपयोग या प्रयोग में ह्रास होता है या वह अकृत होता है, या किसी भी ऐसे अधिकार या फायदे का अतिलंघन जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों के द्वारा या अधीन महिलाओं को प्रदत्त किया गया हो, या महिलाओं को कारित मानसिक या शारीरिक यातना या उनका लैंगिक उत्पीड़न या उन पर की गई ज्यादतियां ।

3. आयोग का गठन- (1) राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, राजस्थान राज्य महिला आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा ।

(2) आयोग में एक अध्यक्ष, और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य सचिव सहित चार से अनधिक सदस्य होंगे और चार सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी ।

(3) अध्यक्ष, महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाली, महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध, विख्यात महिला होगी ।

(4) आयोग की सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाली ऐसी महिलाएं होंगी जिन्हे महिलाओं के हितों की रक्षा और प्रोन्नयन और अधिकारों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव हो या जिन्होंने ऐसा करने में योग्यता प्रदर्शित की हो।

(5) आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जायेगा और आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें या उसे आयोग द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

(6) सचिव ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगी जो उस पद और संवर्ग पर लागू है जिससे उसे लाया गया है।

4. सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें-(1) धारा 3 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य, -

(i) अपने हस्ताक्षरयुक्त और राज्य सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग दे सकेगा;

(ii) धारा 8 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन आयोग के किसी सदस्य के त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण या अन्यथा उद्भूत कोई रिक्ति धारा 3 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार भरी जायेगीः

परन्तु इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारित करेगा, जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति की सदस्य के रूप में नियुक्ति की जाती है।

(4) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य ऐसा पारिश्रमिक और भत्ते प्राप्त करेंगे और ऐसी सेवा-शर्तो द्वारा शासित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जायेः

परन्तु ऐसी सेवा-शर्तो में किसी सदस्य की नियुक्ति के पश्चात् उसके अहितकर रूप में परिवर्तन नही किया जायेगा।

5. गणपूर्ति- आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन होगी।

6. कामकाज का निपटारा-(1) आयोग की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा उसकी अनुपस्थिति में ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जिसे उपस्थित सदस्यों द्वारा तत्प्रयोजनार्थ चुना जाये।

(2) आयोग की बैठक में समस्त प्रश्न उपस्थित और मत देने वाले, सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों के समान होने की दशा में अध्यक्ष या, यथास्थिति, अध्यक्षता करने वाले सदस्य का निर्णायक मत होगा।

(3) यदि यह आवश्यक समझा जाये तो आयोग ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शर्तो पर, जो विहित की जायें, किसी विषय-विशेष में विशेषज्ञीय जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को आयोग की किसी विनिश्चय पर पहुंचने में सहायता करने हेतु बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा, किन्तु ऐसा व्यक्ति मत देने का हकदार नहीं होगा।

7. किसी कमी या रिक्ति इत्यादि के कारण आयोग के आदेश का अविधिमान्य नहीं होना- आयोग का कोई आदेश या कार्यवाही उसके गठन में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण या किसी भी सदस्य के पद की किसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी।

8. अध्यक्ष या सदस्यों का पद से हटाया जाना- आयोग की अध्यक्ष या सदस्य राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से हटायी जा सकेगी यदि वह, -

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाती है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरायी जाती है और कारावास से दण्डादिष्ट की जाती है जिसमें नैतिक अधमता या कोई अन्य आपराधिक क्रियाकलाप अन्तर्वलित हो;

(ग) विकृत चित्त की हो जाती है;

(घ) कार्य करने से इन्कार करती है या कार्य करने में असमर्थ हो जाती है;

(ड़) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग की लगातान तीन बैठकों में अनुपस्थित रहती है; या

(च) सरकार की राय में उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का वित्तीय रूप से या अन्यथा इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोकहित के अहितकर हो गया हैः

परन्तु कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाई जायेगी जब तक कि उसे उस विषय की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दे दिया गया हो।

9. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी-(1) राज्य सरकार आयोग को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जायें।

10. हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश कराने की आयोग की शक्तियाँ- (1) आयोग को , इस अधिनियम के अधीन किसी भी जाँच के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के दौरान किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-

(क) किसी भी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना और उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना;

(घ) किसी भी लोक कार्यालय से किसी भी लोक दस्तावेज या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ड.) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन, समन जारी करना।

(2) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जायेगा और जब भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179 धारा 180 या धारा 228 में यथावर्णित कोई भी अपराध आयोग की दृष्टि या उपस्थिति में किया जाता है, तो आयोग उन तथ्यों को, जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) में जैसा उपबंधित है उसके अनुसार अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को उसके विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और वह मजिस्ट्रेट, जिसे इस प्रकार का कोई भी मामला भेजा गया है, अभियुक्त के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई करने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 346 के अधीन भेजा गया है।

(3) आयोग के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 195 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

11. आयोग के कृत्य- (1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(i) किसी भी अनुचित व्यवहार की जाँच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्रवाईयों की सरकार को सिफारिश करना;

(ii) महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विवाद्यकों का या अनुचित व्यवहारों सें संबंधित विवाद्यकों का अन्वेषण करना या अन्वेषण करवाना और उनके बारे में किये जाने वाले सुधारात्मक उपायों की सरकार को रिपोर्ट करना;

(iii) निम्नलिखित के बारे में राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट या रिपोर्टें प्रस्तुत करनाः-

(क) प्रवृत्त विधियों में की ऐसी कमियाँ, अपर्याप्तताएं या खामियाँ जो महिलाओं के समता के संवैधानिक अधिकार और उनके प्रति उचित व्यवहार को प्रभावित करती है और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए उपचारी विधायी उपाय;

(ख) महिलाओं के संबंध में प्रवृत्त विधियों के कार्यकरण को इस दृष्टि से मोनीटर करना ताकि उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जिनमें विधियों का प्रवर्तन पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है या दोष रहित नहीं किया जा रहा है और उनमें सुधार लाने के लिए किये जाने वाले कार्यपालक विधायी उपायों की सिफारिश करना।

(ग) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में की गयी भर्तियों को मोनीटर करना और ऐसी भर्तियों के मामले में महिलाओं को समान अवसर की गारण्टी देने हेतु अपेक्षित कार्रवाई, यदि कोई हो, करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करने की दृष्टि से ऐसी भर्तियों को शासित करने वाले नियमों और विनियमों की संवीक्षा करना;

(iv) (क) किसी भी कारागार, पुलिस थाने, हवालातों, उप-जेलों, उद्धार गृहों या अभिरक्षा के ऐसे अन्य स्थानों जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, या राज्य सरकार या उसके किन्हीं भी अभिकरणों जिनमें महिलाओं के उद्धार या आश्रय के प्रयोजन के लिए सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे अभिकरण सम्मिलित हैं, द्वारा चालित महिलाओं के आश्रय स्थल या अन्य इसी प्रकार के स्थानों या किसी भी व्यक्ति द्वारा चालित महिलाओं या लडकियों के लिए आशयित होस्टलों का और सभी ऐसे अन्य स्थानों का, जिनमें महिलाओं के विरूद्ध किये गये अनुचित व्यवहार का परिवाद किया जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और ऐसे स्थानो में महिलाओं और लड़कियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उसके बारे में और जाँच करवाना और उपचारी कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करना;

(ख) ऐसे मामलो में, जिनमें आयोग का यह दृष्टिकोण हो कि किसी भी लोक सेवक ने महिलाओं के हितों का संरक्षण करने के बारे में अपने कर्तव्यों का निर्वहण करने के संबंध में अत्यधिक उपेक्षा या उदासीनता बरती है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के लिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा;

(v) महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से अपनाये और लागू किये जाने वाले कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना;

(vi) महिलाओं के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिये व्यापक और सकारात्मक स्कीम बनाना और ऐसी स्कीमों को लागू करने के लिऐ कार्यक्रम सुझाना जो राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ अग्रेषित किये जायेंगे और उसका अनुमोदन अभिप्राप्त हो जाने पर उपान्तरणों सहित या उनके बिना उसे लागू करेगा या लागू करवायेगा;

(vii) महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के संबंध में किसी भी ऐसे कानून के अधीन अभियोजन की कार्यवाही के लिए समुचित प्राधिकारी को सिफारिश करना, जिसमें ऐसे कानून के अपबन्धों के अतिक्रमण के लिए शास्ति का उपबंध किया गया हो;

(viii) महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा के संबंध में तुलनात्मक अद्यतन सहित, आंकड़ों का व्यापक अधिकोष संधारित करना, समय-समय पर उन्हें अध्यनत करना, महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्रवाईयों में उपयोग के लिए ऐसे आंकड़ों को उपलब्ध कराना;

(ix) उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और विवाह-विच्छेद के मामलों में विभेद को दूर करने के लिए, या महिलाओं की गरिमा और मातृत्व के मान को सुरक्षित रखने से संबंधित मामलों के लिए सरकार को विधायन शुरू करने के लिए सिफारिश करना;

(x) महिलाओं के प्रति हुए विभेद और अत्याचारों से उद्भूत होने वाली विनिर्दिष्ट समस्याओं का स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराये जाने की अपेक्षा करना और बाधाओं का पता इस दृष्टि से लगाना जिससे की उन्हें दूर करने की युक्तियों की सिफारिश की जा सके;

(xi) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया के बारे में सलाह देना;

(xii) महिलाओं के किसी बड़े निकाय को प्रभावित करने वाले विवाद्यकों को अन्तर्वलित करने वाले वादकरण के लिए निधि उपलब्ध कराना;

(xiii) महिलाओं से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनमें महिलाओं को कठिन परिश्रम करना होता है, राज्य सरकार को सावधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(xiv) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान का जिम्मा लेना जिससे महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने के उपाय सुझाये जा सकें और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का, जैसे आवासन और बुनियादी सेवाओं की सुलभता में कमी, कड़ी मेहनत और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने और उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहाय्य सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता को परिलक्षित करना;

(xv) महिलाओं से संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना;

(xvi) अन्य कोई मामला, जो उसे सरकार, आम जनता, प्रेस द्वारा निर्दिष्ट किया जाये या किन्हीं ऐसे अधिकारों के अतिलंघन का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना जिन्हें आयोग महिलाओं के हितों के लिए अपायकर समझे।

12. अनुचित व्यवहार की जांच करना-(1) आयोग, -

(क) किसी भी महिला से यह अभिकथित करते हुए कि उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया गया है, कोई लिखित परिवाद या किसी भी रजिस्ट्रीकृत महिला संगठन से वैसा ही परिवाद प्राप्त होने पर;

(ख) अपनी स्वयं की जानकारी या सूचना पर;

(ग) सरकार से किसी भी निवेदन पर;

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे अनुचित व्यवहार की व्यक्तिगत जानकारी हो, किये गये परिवाद पर;

किसी भी अनुचित व्यवहार की जांच कर सकेगा।

(2) जहां परिवाद उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किया गया है वहां आयोग उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, कोई भी आदेशिका जारी करने के पूर्व स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि परिवाद की जांच करनी आवश्यक है, ऐसी रीति से, जो वह उचित समझे, प्रारंभिक अन्वेषण करवा सकेगा।

(3) (i) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग को हेतुक दर्शाता है और उसका समाधान कर देता है तो उस पर किसी भी कार्यवाही के शुरू किये जाने के लिए कोई और कार्रवाई नहीं की जायेगी;

(ii) जहां वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, उपसंजात होता है और आयोग का समाधान करने में असफल रहता है या जहां वह तत्प्रयोजनार्थ नियत दिन को उपसंजात होने में असफल रहता है वहां आयोग परिवाद में अभिकथित मामले की जांच करने की कार्यवाही कर सकेगा और यदि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले में कोई अनुचित व्यवहार किया गया है या मामले में कार्यवाही किये जाने का कोई विशेष आधार प्रतीत होता है वहां आयोग राज्य-सरकार को उस मामले मे कार्रवाई और अभियोजन प्रारंभ करने की सिफारिश करेगा।

(4) राज्य सरकार, उप-धारा (3) के अधीन आयोग की सिफारिशों की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर उन पर विनिश्चय करेगी और आयोग को उसकी सूचना देगी।

13. अभियोजना का प्रारंभ- यदि धारा 12 के अधीन किसी परिवाद के अन्वेषण के पश्चात् आयोग का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई दाण्डिक अपराध किया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अभियोजित किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश पारित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ कर सकेगा यदि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं हो, और यदि ऐसे अभियोजन के लिए किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अपेक्षित हो तो उस प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त की जायेगी।

14. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट- (1) आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे किसी भी मामले पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसे वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट किसी भी समय प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को, आयोग की सिफारिशों पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों, यदि कोई हों, के ज्ञापन सहित राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

15. आयोग की बैठकें- (1) आयोग की बैठकों का स्थान जयपुर होगा, किन्तु वह किन्हीं **अनुचित व्यवहारों की जांच के प्रयोजन हेतु बैठकें राज्य के भीतर किसी स्थान पर आयोजित कर सकेगा।**

(2) आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और अपने कामकाज के निपटारे के लिए विनियम बनायेगा और विनियमों को उनके **बनाये जाने के पश्चात् राज-पत्र में प्रकाशित किया जायेगा।**

(3) अध्यक्ष, आयोग के अनुमोदन से अध्यक्ष का कोई भी कृत्य आयोग के किसी भी अन्य सदस्य या सदस्यों को समनुदिष्ट कर सकेगा।

16. राज्य सरकार का आयोग से परामर्श किया जाना- राज्य सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत विषयों के सम्बन्ध में आयोग से समय-समय पर परामर्श करेगी।

17. आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना- आयोग के सभी सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्परित हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जोयेंगे।

18. राज्य सरकार द्वारा अनुदान- राज्य सरकार विधान-मण्डल द्वारा किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात इस निमित्त विधि द्वारा, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा उपयोग किये जाने के लिए उचित समझे।

19. आयोग को दान, अभिदाय आदि- आयोग, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और ऐसी शर्तो और निबंधनों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी भी संगठन या व्यक्ति से दान, अभिदाय या अन्य किसी भी रूप में धन प्राप्त कर सकेगा।

20. लेखे और संपरीक्षा-(1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के महालेखाकार के परामर्श से विहित किया जाये।

(2) आयोग के लेखों की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय आयोग को उपलब्ध कराये गये अनुदान में से संदेय होगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन विहित प्राधिकारी या निकाय को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार प्राप्त होंगे जो राजस्थान के महालेखाकार को सरकारी लेखों की संपरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं, और विशिष्टतया, पुस्तकें, लेखे, संबंधित

वाउचर तथा अन्य दस्तावेज पेश करवाने और आयोग की निधियों के प्रोद्भवन और उनके संवितरण से संबंधित अन्य सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) इस धारा के अधीन लेखों की संपरीक्षा करने वाले संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे, उन पर की संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अग्रेषित किये जायेंगे।

21. कतिपय मामलों में अधिनियम का लागू न होना- यह अधिनियम, -

(i) केन्द्रीय सरकार; या

(ii) केन्द्रीय सरकार के किसी भी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्षतः स्वामित्वधीन या उसके द्वारा नियंत्रित या वित्त-पोषित किसी अन्य संस्था पर; लागू नही होगा।

22. नियम बनाने की शक्ति- राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातः-

(क) अध्यक्ष औैर सदस्यों संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते;

(ख) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्ते;

(ग) वह समय जब और वह प्ररूप, जिसमें लेखों का वार्षिक विवरण रखा जायेगा;

(घ) कोई भी अन्य विषय, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाये।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए जो एक सत्र या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे, और यदि ऐसे सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है, या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम तत्पश्चात् ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थितिक, उनका कोई प्रभाव नहीं

होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।